हरियाणा राज्य

बनाम

रमेश कुमार

(सिविल अपील सं. 4325/2008)

11 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-समाप्ति आदेश-कर्मचारी का दावा कि उसने 240 दिनों की सेवा पूरी कर ली है-श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय कि समाप्ति आदेश अवैध है-को चुनौती- उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से करना- की स्थिरता-आयोजितः उच्च न्यायालय को एक तकर्संगत आदेश देना चाहिए था जो उसके दिमाग के उपयोग का संकेत देता है-कारणों की अनुपस्थिति ने आदेश को अस्थिर बना दिया-इससे भी अधिक, यह साबित करने की जिम्मेदारी कामगार पर थी कि उसने अपनी समाप्ति से पहले के वर्ष में 240 दिनों तक लगातार काम किया था और इसके लिए उसे सबूत भी पेश करने थे-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया -मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजो गया- निर्णय/आदेश-तर्कसंगत आदेश-की आवश्यकता।

प्रतिवादी दिसंबर 1991 में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था। वह 31.3.1993 तक काम करता रहा, इसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्रम न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया कि समाप्ति धारणीय नहीं थी, क्योंकि प्रतिवादी ने समाप्ति से पहले के वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी कर ली थी। अपीलकर्ता- राज्य ने फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने संक्षेप में रिट याचिका खारिज की। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 कारण एक आदेश में स्पष्टता का स्पष्टता लाते हैं। न्याय पर स्पष्ट रूप से विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में अपने कारण, चाहे वे कितने भी संक्षिप्त हों, अपने दिमाग के एक प्रयोग का संकेत देते हुए निर्धारित करने चाहिए थे। खासकर तब जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। उच्च न्यायालय के आदेश के कारणों की अनुपस्थिति टिकाऊ आदेश नहीं दिया गया। [पैरा6] [865-जी, 866-ए]

यू. पी. राज्य बनाम बट्टन और अन्य 2001 (10) ऐसे. सी. सी. 607; महाराष्ट्र राज्य बनाम विठ्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण ए. आई. आर. 1982 ऐसे. सी. 1215; जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह व अन्य 1987 (2) ऐसे. सी. सी. 222- पर निर्भर।

1.2 कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आये निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुपरकता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने से प्रकट है कि अगर निर्णय "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को उजागर करता है, तो यह अपनी खामोशी से निर्णय की वैधता तय करने में अदालतों के लिए अपने अपीलीय कार्य करना या अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बना सकता है। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कम से कम कारण न्यायालय के समक्ष मामले में दिमाग के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। एक अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। इनमें से एक प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निष्पादन के अनुरूप नहीं होता है। [पैरा 7] [866-डी, ई, एफजी]

पंजाब राज्य बनाम भाग सिंह 2004 (1) ऐसे. सी. सी. 547; सुगाराम @ चुगाराम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2006 (8) ऐसे. सी. सी. 641-पर निर्भर।

ब्रीन बनाम समामेलित अभियांत्रिकी संघ 1971 (1) सभी ई. आर. 1148; अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री 1974 एल. सी. आर. 120-संदर्भित।

1.3 इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन, कोई भी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी भी बहाने के तहत नहीं छोड़ा जो सकता है, चाहे वह किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय भी हो, भारत के संविधान 1950. [पैरा 6] [866-बी, सी] के अनुच्छेद 141, से अनजोन नहीं हो सकता।

2.1 सिद्धांत यह है कि सबूत का भार कमर्चारी पर है कि उसे यह साबित है कि उसने छँटनी से पहले के एक वर्ष में निरंतर 240 दिनों तक कार्य किया था और यह कामगार पर निर्भर करता है कि नियोक्ता के रोजगार में होने के तथ्य को स्वयं की जोंच के अलावा भी अपनी साक्ष्य से अलग से साबित करे। [पैरा 11] [867-जी]

मोहन लाल बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1981 (3) ऐसे. सी. सी. 225; रेंज वन अधिकारी बनाम ऐसे.टी. हदीमनी 2002 (3) ऐसे. सी. सी. 25, राजस्थान राज्य गंगानगर ऐसे.मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य 2004 (8) ऐसेसीसी 161,नगर निगम, फरीदाबाद बनाम सिरी निवास 2004 (8) ऐसेसीसी 195, एम. पी. विद्युत बोर्ड बनाम हरिराम 2004 (8) ऐसे. सी. सी. 246, सुरेंद्रनगर जिला पंचायत व अन्य बनाम जेठाभाई पीतांबरभाई 2005 (8) ऐसे. सी. सी. 450- पर निर्भर।

3. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया जोता है। [पैरा 13] [868-ए, बी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपील सं. 4325/ 2008

सी. डब्यू. पी. सं. 575/ 2004 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 14/3/2005 से

मंजीत सिंह और टी.वी. जॉर्ज अपीलार्थी के लिए।

ऋषि मल्होत्रा उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायतजे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती यह है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा राज्य द्वारा संक्षेप में खारिज किये गये आदेश की सिविल रिट याचिका राज्य द्वारा फाइल की गई थी और उस रिट पीटिशन में श्रम न्यायालय यू.टी. चंडीगढ़ ने पीठासनी अधिकारी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (संक्षेप में धारा) के संदर्भ में पारित किये गये अवार्ड को चुनौती दी गई।

उत्तरदाता ने दावा किया कि वह दिसंबर 1991 से लोक निर्माण विभाग बी एंड आर के कार्यालय में काम कर रहा था और 31 मार्च, 1993 तक काम करता रहा। उसने 240 दिनों की सेवा पूरी करने व वेतन निकालन का दावा किया और आरोप लगाया कि बिना किसी उचित कारण के उसे दिनांक 31 मार्च, 1993 को सेवा से बरखास्त कर दिया। जिस पर उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ आदेशात्मक निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया कि दीवानी न्यायालय को दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिस पर डिमांड नोटिस जोरी

किया गया और प्रकरण को श्रम न्यायालय को भेजो गया। श्रम न्यायालय ने पाया कि कमर्चारी की कथित समाप्ति सही/टिकाउ नही थी। श्रम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि चूंकि कमर्चारी दिसंबर 1991 से काम कर रहा था और उसने 31 मार्च, 1993 तक कार्य किया था, इसलिए यह माना जोता है कि उसने 5 दिनों की सेवा पूरी कर ली है। इसलिए, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान का पालना नहीं हुई है।

3. रिट याचिका अपीलार्थी द्वारा पुरस्कार की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी जिसे संक्षेप में खारिज कर दिया गया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दावा याचिका कथित समाप्ति के लगभग 5 साल बाद किया गया था। उच्च न्यायालय को बिना कोई उचित कारण बताए रिट याचिका को खारिज नहीं करना चाहिए था। आगे यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी ने कथित समाप्ति तिथि से पहले 12 कैलेंडर महीनों के भीतर 240 दिनों का कार्य पूरा नहीं किया था। इसलिए सेवा मे वापसी एवं 50 प्रतिशत वापसी मजदूरी अवार्डके निर्देश टिकाउ नहीं थे।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह दिखाने का बोझ नियोक्ता पर है कि संबंधित कर्मचारी ने 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी।

6. कारण एक क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त ना हों, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, अपने कारण सामने रखने चाहिए थे, और भी अधिक जब उसका आदेश चुनौती के लिए आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। कारणों की अनुपस्थिति के कारण हाईकोर्ट का आदेश पोषणीय नहीं है। यू. पी. राज्य बनाम बट्टन और अन्य (2001 (10) ऐसे. सी. सी. 607) के प्रकरण में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया

गया था और लगभग 2 दशक पहले महाराष्ट्र राज्य बनाम. विठ्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण (ए. आई. आर. 1982 ऐसे. सी. 1215) में अनुदान के आवेदन से निपटने के दौरान प्रकरण में इच्छा जोहिर की गई थी कि याचिका स्वीकार करने का आदेश स्पीकिंग होना चाहिए। ऐसे मामलों में आदेश मे कारणों को इंगित करने की आवश्यकता को न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है। इस विचार को जवाहर लाल बनाम नरेश सिंह व अन्य (1987 (2) ऐसेसीसी 222) ने प्रकरण में भी दोहराया गया था। इस न्यायालय द्वारा कानून का पालन कराने के लिए न्यायिक अनुशासन कोकिसी भी कीमती पर नहीं छोड़ा जो सकता, चाहे वह कोई प्राधिकरण गई हो, न्यायालय हो या किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हो तो भी वह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 141 से अनजोन नहीं हो सकता। (संक्षेप में 'संविधान')

> 7. यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी ब्रीन में लॉर्ड डेनिंग एम. आर. बनाम समामेलित अभियान्त्रिकी संघ (1971 (1) अखिल ई. आर. 1148) ने कहा, "अच्छे प्रशासन के लिए कारण बताना मूलभूत आवश्यकता है। अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री (1974 एल. सी. आर. 120) में यह कहा गया था कि कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। कारण वह तार है जो निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क से विचारधीन विवाद और निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने का जीवंत संबंध है। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारण को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय से "अस्पष्टता" का पता चलता है तो वह नीरवता के कारण न्यायालयों के लिए अपना अपीलीय कार्य करना या निर्णय की वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बन जोता है।

कारण का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कारण कम से कम न्यायालय के समक्ष प्रकरण पर मस्तिष्क का उपयोग होने का एक पर्याप्त संकेत है। एक और कारण यह है कि प्रभावित पक्ष को यह पता लग सके कि आदेश उसके खिलाफ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर होता है। न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निष्पादन के साथ असंगत।

8. इन पहलुओं पर पंजाब राज्य बनाम भाग सिंह (2004 (1) ऐसे. सी. सी. 547) और सुगा राम उर्फ चुगा राम वी. राजस्थान राज्य व अन्य (2006 (8) ऐसेसीसी 641) में भी प्रकाश डाला गया था।

9. मोहन लाल बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (1981 (3) ऐसे. सी. सी. 225), में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि इससे पहले कि कोई कर्मचारी बरखास्त करने के संबंध में दावा करे कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के अनुरूप नहीं है, तो उसे यह दर्शाना होगा कि वह नियोक्ता के साथ कम से कम एक वर्ष के लिए निरंतर सेवा में था जिसने उसे सेवा से हटा दिया था।

10. रेंज वन अधिकारी बनाम ऐसे. टी. हदीमानी (2002 (3) ऐसेसीसी 25) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (ऐसे. सी. सी पी. 26, पैरा 3) "हमारी राय में ठोस साक्ष्य के आधार पर यह सुनिश्चित किये बिना कि प्रतिवादी ने बरखास्तगी से पूर्व 240 दिनों से अधिक के लिए कार्य किया था, प्रबंधन पर जिम्मेदारी डालना था। दावेदार का यह दावा था कि उसने काम किया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार किया गया था। तदोपरांत दावेदार को यह साबित करने के लिए सबूत पेश करना था

कि उसने वास्तव में अपनी समाप्ति से पहले वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। हलफनामा दाखिल करना उसके पक्ष में केवल उनका अपना बयान है, जिस पर्याप्त नहीं माना जो सकता और उसके आधार पर न्यायालय या न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष तक नहीं आ सकते कि कमर्चारी ने वास्तव में 240 दिन काम किया था। इस संबंध में वेतन की रसीद, 240 दिन का वेतन, इस अवधि के दौरान का नियुक्ती का आदेश या प्रमाण पत्र भी कमर्चारी द्वारा पेश नहीं किया गया। केवल इस आधार पर उक्त आदेश अपास्त किए जोने याग्य है।

11. यह न्यायालय फिर से राजस्थान राज्य गंगानगर ऐसे. मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य (2004 (8) ऐसेसीसी 161), नगरपालिका कॉरपोरशन, फरीदाबाद बनाम सिरी निवास (2004 (8) ऐसे. सी. सी. 195) और मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम हरिराम (2004 (8) ऐसे. सी. सी. 246) ने दोहराया है कि सबूत का भार श्रमिक पर है कि वह यह साबित करे कि उसने अपनी बरखास्ती से पूर्व विगत एक वर्ष में 240 दिनों तक लगातार काम किया था और यह कर्मचारी पर निभर्र करता है कि वह खुद के जोंच के अतिरिक्त नियुक्ता द्वारा नियुक्त करने के संबंध में साक्ष्य पेश करे।

12. उक्त स्थिति को पुनः सुरेंद्रनगर जिला पंचायत व अन्य बनाम जेठाभाई पीतांबरभाई (2005 (8) ऐसे. सी. सी. 450) में उजागर किया गया था।

13. कानून में दृष्टि में जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी उजागर किया गया है उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जोता है और उक्त प्रकरण को पुनः न्याय के सिद्धांतों पर नए सिरे से विचार करने हेतु भेजो जोता है क्योंकि उक्त प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है इसलिए यह वांछनीय होगा कि उच्च न्यायालय उक्त प्रकरण को उक्त आदेश की प्राप्ति से 6 महीने के भीतर जल्द से जल्द निस्तारण करे।

14. बिना किसी लागत के अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

एन. जे. अपील का निपटारा किया गया

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रकाश चन्द्र मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।